कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट–सोनभद्र ।

पत्रांक: 2766 / रेनुकूट / 15–31 दिनांक, रेनुकूट, मार्च, 11 2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर ।

विषय: जनपद–सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत मे0 रेणुसागर पावर कम्पनी को ऐश डिस्पोजल यार्ड के निर्माण हेतु 10 वर्षो की लीज (21.06.2009 से 20.06.2019 तक के लिये) दी गयी 61.2348 हे0 वनभूमि के लीज का पुनः 10 वर्षो हेतु (दिनांक– 21.06.2019 से 20.06.2029 तक) नवीनीकरण के संबंध में ।

संदर्भ: 1– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, एफ0सी0 डिविजन, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड अलीगंज नई दिल्ली की फाईल संख्या–8–05 / 1993–एफ0सी0(पी0टी0) दिनांक– 15.07.2021
2–मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्र संख्या– 200 / 11–सी FP/UP/IND/39403/2019 दिनांक–16.07.2021

महोदय,

विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें । प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार द्वारा मॉगी गयी वांछित सूचना / अभिलेख प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त करते हुए निम्नानुसार अवलोकनार्थ एवं संस्तुति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

क्र0 सं0	भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, एफ0सी0 डिविजन, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड अलीगंज नई दिल्ली की फाईल संख्या–8–05 / 1993–एफ0सी0(पी0टी01) दिनांक– 15.07.2021 में अंकित बिन्दु	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	The Complete Compliance of conditions stipulated in Ministry's Stage-II/Final approval letter no. 8-05/1993-FC(Pt)dated 23-08-2018 has to be submitted .	इस बिन्दु के अनुपालन मे अवगत कराना है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र संख्या– एफ0नं0 8–05 / 1993–एफ0सी0(पी.टी) दिनांक– 23.08.2018 में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रभाग मे उपलब्ध कराया गया है जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है ।
2	The State Government shall submit the status of the notification for declaring the area acquired for Compensatory Afforestation as RF/PF along with present status of the Compensatory afforestation to be submitted.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 61.2348 हे0 वन भूमि के सापेक्ष 3.6758 हे0 गैर वन भूमि रेनुकूट वन प्रभाग में तथा 57.559 हे0 गैर वन भूमि कैमूर वन्य जीव प्रभाग के अन्तर्गत उपलबध कराया गया है । उपलब्ध कराये गये गैर वन भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–4 के अन्तर्गत विज्ञापन कराये जाने की अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है :–

प्रभाग / रेंज का नाम जहॉ पर गैर वनभूमि उपलब्ध करायी गयी है ।	ग्राम का नाम जहॉ पर गैर वनभूमि उपलब्ध करायी गयी है	क्षेत्रफल (हे0 में)	प्रश्नगत गैर वन भूमि को धारा–4 / 20 में विज्ञापित कराये जाने की अद्यतन स्थिति ।
1.	3.	4.	5.
कैमूर वन्य जीव	पुरना	38.2050	संस्थान द्वारा कैमूर

Scanned with CamScanner

<table>
<tr><td></td><td></td><td>प्रभाग/धोरावल रेंज</td><td></td><td></td><td rowspan="2">वन्य जीव प्रभाग के अन्तर्गत (38.2060+ 9.3540)= 57.569 है0 गैर वन भूमि उपलब्ध कराया गया है किन्तु गैर वन भूमि से संबंधित तरमीमी मानत्रित्र संस्थान द्वारा कैमूर वन्य जीव प्रभाग को उपलब्ध न कराये जाने के कारण उनके द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–4 के अन्तर्गत विज्ञप्ति प्रस्ताव प्रेषित करना संभव नही हो पा रहा है । तरमीमी मानचित्र उपलब्ध कराने हेतु कैमूर वन्य जीव प्रभाग एवं रेनुकूट वन प्रभाग द्वारा संस्थान को विभिन्न पत्रो द्वारा अनुरोध किया गया किन्तु उनके द्वारा अभी तक तरमीमी मानचित्र उपलब्ध नही कराया गया है ।</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>कैमूर वन्य जीव प्रभाग/धोरावल रेंज</td><td>पेढ़.</td><td>19.3540</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>रेणुकूट वन प्रभाग/जरहा रेंज</td><td>अंजानी</td><td>3.6758</td><td>रेनुकूट वन प्रभाग द्वारा धारा–4 में प्रकाशन कराया जा चुका है ।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Validity of lease under FCA. 1980 has already expired. Therefore it needs to be ascertained that violation of the Forest Conservation Act. 1980 needs submission.</td><td colspan="4">इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत लीज की अवधि दिनांक– 20.06.2019 को समाप्त होने के पूर्व ही संस्थान द्वारा प्रस्ताव को भारत सरकार के परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या– FP/UP/IND/39403/2019 अपलोड करते हुए प्रस्ताव की हार्डकपी प्रभाग में दिनांक–14.05.2019 को उपलब्ध कराया गया । उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव की जॉच कराने के उपरान्त प्रभाग के पत्र संख्या– 4230/रेनुकूट/15–31 दिनांक– 03.06.2019 द्वारा प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर की सेवा में प्रेषित की गयी जिसे मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर ने भी अपने कार्यालय के पत्रांक– 5488/मी0क्षे0/33 दिनांक– 12.06.2019 द्वारा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित किया गया । इस प्रकार प्रश्नगत प्रकरण में संस्थान द्वारा प्रस्ताव स–समय प्रस्तुत करने की कार्यवाही की गयी है ।</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Reasons/justification for seeking renewal of forest diversin lease after every 10 years under the Forest Conservation Act. 1980 need submission.</td><td colspan="4">इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण से संबंधित लीज की स्वीकृति प्रथम वार 10 वर्षो हेतु दिनांक– 21.06.1999 से 20.06.2009 तक के लिए प्रदान की गयी थी जिसके लीज का प्रथम नवीनीकरण भी 10 वर्षो हेतु दिनांक– 21.06.2009 से 20.06.2019 तक के लिए किया गया और पुनः 10 वर्षो हेतु दिनांक– 21. 06.2019 से 20.06.2029 तक नवीनीकरण करने के लिए संस्थान द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है जो भारत</td></tr>
</table>

Scanned with CamScanner

		सरकार के स्तर पर विचाराधीन है ।
5	Vital details regarding the capacity of the Ash Disposal Yard and timeline for utilization of the same up to the brim need submission.	इस बिन्दु के अनुपालन में संस्थान द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना जिसमें ऐश डिस्पोजल यार्ड की क्षमता एवं उत्सर्जित राख की मात्रा व टाईम लाईन दिया गया है की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है ।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार 4 प्रतियों में ।

भवदीय

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

संख्या– 12766 अ/सम दिनांकित ।

प्रतिलिपिः निम्नलिलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर ।

2–सी0ओ0ओ0 मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट –सोनभद्र ।

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

Scanned with CamScanner